क्रम-संख्या--512

(13)

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 नवम्बर, 2000

कार्तिक 10, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2450/सत्रह-वि--1--1 (क) 31-2000

लखनऊ, 1 नवम्बर, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1979 में नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

2— उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी; अर्थात :—

कतिपय क्रमोन्नत संस्थाओं के सम्बन्ध में संक्रमणकालीन उपबन्ध

"13—क (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध किसी ऐसी संस्था पर जिसकी क्रमोन्नति हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट स्तर तक की जाय और उसके अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों पर जिनके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा ऐसी संस्था को दिया जाता है, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कहीं, धारा 5 में छात्रों के प्रति निर्देश आये हों, उसका यह अर्थ लगाया जायगा कि वह केवल जूनियर हाई स्कूल के स्तर तक की कक्षाओं के छात्रों के प्रति निर्देश है।"

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 2450 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 31-2000
Dated Lucknow, November 1, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Junior High School (Adhyapkon Aur Anya Karmachariyon Ke Vetan Ka Bhugtan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 31, 2000.

THE UTTAR PRADESH JUNIOR HIGH SCHOOLS (PAYMENT OF SALARIES OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES) (AMEMDNENT) ACT, 2000

(U. P. ACT NO. 34 OF 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Junior High Schools (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Act, 1978.

It is hereby enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Junior High Schools (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) (Amendment) Act, 2000.

Insertion of new section 13-A in U. P. Act no. 6 of 1979

2. *After* section 13 of the Uttar Pradesh Junior High Schools (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Act, 1978, the following section shall be *inserted*, namely :—

Transitory provisions in respect of certain upgraded institutions

"13-A (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the provisions of this Act shall, *mutatis-mutandis*, apply, to an institution which is upgraded to High School or Intermediate standard and, to such teachers and other employees thereof in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government to such institution.

(2) For the purposes of this section the reference to the students wherever they occur in section 5, shall be construed as reference to the students of classes upto junior-high school level only."

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० 169 सा० विधा०—(2337)—2000—850 (मेक०)।

(230)